यू.पी. राज्य

बनाम

राजा उर्फ जलील

(2002 की आपराधिक अपील संख्या 1310-1311)

अगस्त 28,2008

[डॉ. अरिजीत पसायत, पी. सतशिवम और अफताब आलम, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: 302,376/511 - बलात्कार करने का प्रयास - हत्या-परिस्थितिजन्य साक्ष्य - अभियुक्त द्वारा किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति - दोषसिद्धि और विचारण न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड दिया गया - उच्च न्यायालय द्वारा बरी - अभिनिर्धारित: जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो परिस्थितियों की एक पूरी श्रृंखला जो हर दूसरी संभावना को खारिज कर देती है सिवाय इसके कि अभियुक्त के अपराध को स्थापित किया जाना है, उच्च न्यायालय ने तथ्यों पर सही नोट किया है कि कथित अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति उसे गंभीर रूप से हमला करके आरोपी से निकाला गया था, और वह स्वैच्छिक या स्वाभाविक नहीं था - चोटें स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं कि कथित रूप से मारने के बाद उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। इसके अतिरिक्त, मृतक की माँ का सबूत विरोधाभासों और विसंगतियों से भरा था - परिस्थितिजन्य साक्ष्य-अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील संख्या 1310-1311/2002।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ के आपराधिक अपील संख्या 385/1999 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 06.02.2001 से।

प्रमोद स्वरूप, भरत राम और अनिल कुमार झा- अपीलार्थी की ओर से।

मनीष कुमार (ए.सी.) प्रत्यर्थी की ओर से।

डॉ. अरिजीत पसायत द्वारा न्यायालय का आदेश सुनाया गया।

इन अपीलों में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चुनौती दी गई जिनमे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने प्रत्यर्थी राजा उर्फ जलील इसके बाद अभियुक्त के रूप में संदर्भित को बरी करने का निर्देश दिया। विद्वान सत्र न्यायाधीश बाराबंकी ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धाराओं 302, 376/511 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी पाया और मृत्युदंड और तीन वर्ष की सजा दी।

अभियुक्त ने जेल से और एक प्रतिनिधि अपील वकील के माध्यम से की। मामला उच्च को एक निर्देश किया गया।

मृत्युदंड की पुष्टि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 366 के तहत उच्च न्यायालय में निर्दशित किया। उच्च न्यायालय ने तीनों मामलों का निपटारा आलोच्य निर्णय से किया। आरोपी के खिलाफ आरोप था कि उसने लगभग 11 साल की लड़की कुमारी रीमा को ले जाकर, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी और उसकी हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार दिनांक 17.10.1994 के लगभग 8 बजे आरोपी ने मृतका की माँ से अनुरोध किया कि वह मृतका को नौमी लाल और गंगा राम के खेतों में धान की फसल की कटाई के लिए उसके साथ जाने दें। चूंकि मृतका देर शाम नहीं लौटी, इसलिए मृतका की मां सुशीला देवी, नौमी लाल और गंगा राम के घर गई जिन्होंने उन्हें बताया कि खेत में धान की फसल कटाई के लिए पकी हुई नहीं थी। इसके बाद सुशीला देवी ने अपने लापता बेटी की तलाश जारी रखी और बाजार गई। जहाँ एक यासीन चिकवा के घर के सामने, वह

जंग बहादुर, जगत नारायण, विश्वनाथ, राम शंकर और अन्य लोगों से मिली। इस बीच, गंगाराम अभियुक्त के साथ वहाँ पहुँच गया। विश्वनाथ रामशंकर ने सुशीला देवी को कहा कि उन्होने करीबन 8 व 9 एएम पर मृतका को अभियुक्त के साथ जाते हुये देखा था यह सुनकर अभियुक्त ने भागना प्रारम्भ किया लेकिन पीछा कर उसे पकड़ा लिया गया। उस समय रात के लगभग 10 बज रहे थे। पूछताछ करने पर आरोपी ने कहा कि उसने गंगा राम के खेत में धान की फसल की कटाई के लिए मृतका को ले गया। कुछ धान की फसल काटने के बाद, उसने उसे काबू कर लिया और उसे राम खेलावन यादव के खेत पर ले गया और बलात्कार करने की कोशिश की। जब मृतका ने विरोध किया तो वह उसका मूहं बंद करना चाहता था, मृतका ने उसके हाथ को काटा जिसके बाद आरोपी ने खुरपा की गर्दन पर वार किया और उसकी हत्या कर दी। आरोपी इन सभी लोगों को राम खेलावन यादव के गन्ने के खेत में ले गया और शव की ओर इशारा किया। बाद मे वह इन्हे अपने घर ले गया और खून से सना खुरपा को सौंप दिया। पुलिस स्टेशन एफ़. आई. आर. दर्ज की गई। मामला दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम किया गया और 14 चोटें पाई गईं।

अपीलार्थी की चिकित्सकीय जाँच भी की गई थी। अपीलार्थी को डॉ. जे.पी. भार्गव ए.डब्ल्यू.-5 के समक्ष पेश करने पर अभियुक्त के शरीर पर सात चोटें पाई। चोट संख्या 3 को निगरानी के अधीन रखा गया। आरोपी को सर्जन की राय के लिए जिला अस्पताल बाराबंकी भेजा गया।

इसी तरह, चोट संख्या 4 और 6 को भी निगरानी में रखा गया था। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। चूंकि आरोपी ने बेगुनाही स्वीकार की, इसलिए मुकदमा आयोजित किया गया। अभियोजन पक्ष के सात गवाहों से परीक्षण किया गया। सुशीला देवी (पीडब्लू1) ने कहा कि अभियुक्त द्वारा मृतका को अपने साथ

जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश का विचार था कि मामला रिकॉर्ड में लाए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। तदनुसार, आरोपी को दोषी पाया गया।

जैसा कि शुरुआत में उल्लेख किया गया है, अभियुक्त ने दो अपीलें दायर कीं और निचली अदालत द्वारा उच्च न्यायालय के लिए मृत्युदंड की पुष्टि संदर्भ दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष के बयान में विश्वसनीयता का अभाव है। अभियुक्त को लगी गंभीर चोटों के बारे में स्पष्टीकरण नही दिया गया। पीडब्लू1 के साक्ष्य में भी विश्वास का अभाव पाया गया। उच्च न्यायालय ने पाया कि संबंधित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति साक्ष्य जिस पर अभियोजन पक्ष का मामला टिका हुआ था विश्वसनीय नहीं था। अभियुक्त के आँखों पर गंभीर चोट लगी थी। उसे अन्य चोटें भी लगी थीं। उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का विश्लेषण किया और चोटों के मामले में, यह पाया गया कि यह अनुमान लगाना संभव था कि आरोपी को पूरी तरह से पीटा गया था जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर पर चोटें आईं।

अपराधबोध को मजबूत करने के लिए परिस्थितियों का अपर्याप्त होना पाकर, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को बरी करने का निर्देश दिया।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय द्वारा रेखांकित परिस्थितियाँ यह निष्कर्ष निकालने के लिये प्रयाप्त थी कि अभियुक्त अपराधो के लिये दोषी था। दूसरी ओर उत्तरदाता के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

यह काफी अच्छी तरह से स्थापित किया गया है कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर हो तो परिस्थितियों की एक पूरी श्रृंखला जो अभियुक्त के अपराध को छोड़कर हर अन्य संभावना को खारिज करता है स्थापित किया जाना चाहिए।

ऐसा होने पर, उच्च न्यायालय का विचार था कि अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियाँ पर्याप्त नहीं थीं। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति अभियुक्त पर बुरी तरह हमला करके निकाली गई। चोटें स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं कि आरोपी को कथित तौर पर पकड़े जाने के बाद उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया। इसलिए, उच्च न्यायालय के निष्कर्ष कि तथाकथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से या स्वाभाविक नहीं थी, गलत नही हो सकती। इसके अतिरिक्त मृतक की माँ का साक्ष्य विरोधाभासों और विसंगतियों से भरा था।

किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर हम इनमें कोई योग्यता नहीं पाते हैं। अपीलें खारिज की जाती हैं।

आर.पी. याचिकाएं खारिज की गईं।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **महेन्द्र प्रताप भाटी (आर.जे.एस.)** द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।